

श्री राम अवधेश सिंह : श्रीमन्, मैं यह बात सदन में इसलिए ला रहा हूँ कि इनके अधिकारी किस तरह से इनको गलतफहमी में रखते हैं। ऐसी सूचना देते हैं इनके हस्ताक्षर से ऐसी बातें लिखकर भिजवा देते हैं कि उनसे बाँच आप प्रिविलेज बनेगा... (व्यवधान) मैं चाहता हूँ कि ये इन मामलों को खुद देखें और फाइल मंगाकर देखें कि इन मामलों में शो काज नोटिस भी नहीं दिया गया है और बिना सफिसियेन्ट कारणों के उनकी एजेन्सीज टरमिनेट कर दी गई। मैं चाहता हूँ कि इनको रिवाइव किया जाये। और नेचुरल जस्टिस की जो मांग है उसका पालन जिन अफसरों ने नहीं किया है उनको किसी वजह से माफ नहीं किया जा सकता है और उन अफसरों को पनिश किया जाना चाहिए। अगर आप उनको पनिश नहीं करेंगे तो ये आपके माथे पर अपने पाप को छिपाना चाहते हैं। गरीब लोगों के साथ जो पाप किया गया है उसको छिपाया नहीं जा सकता है। आप इनको पनिश कीजिए।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : श्रीमन्, मैं थोड़ा-सा निवेदन करना चाहता हूँ।

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई) : आप बोल चुके हैं, इसलिए आप बैठ जाइए।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : मैं माननीय मंत्री जी से सिर्फ यह जानना चाहता हूँ कि उनके विभाग के जो कामगार हैं, कर्मचारी हैं, क्या उनको जानकारी है कि उनमें असंतोष है? ऐसी स्थिति में क्या वे अपने विभाग के कर्मचारियों और कामगारों को बुलाकर, उनके साथ बैठकर, उनसे बात करने के लिए तैयार हैं या नहीं?

श्री ब्रह्म दत्त : श्रीमन्, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि माननीय सदस्य ने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया है और उन्होंने अच्छा बात कही है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि हम उनके अधिकार छीनने नहीं जा रहे हैं। मैं यह बात पहले की बता चुका हूँ कि जो स्कीम बनेगी उसमें मजदूरों के नेताओं के साथ बैठकर हम विचार करेंगे, उनके

साथ डिसकस करेंगे,। दूसरी बात समाजवादी होने की कहीं गई है। जहाँ तक किसी को समाजवादी करने की बात है, मैं यह साफ कहना चाहता हूँ कि कोई व्यक्ति किसी भी पार्टी में हो, समाजवादी कहने से समाजवादी नहीं बन जाता है। जहाँ तक एजेन्सी देने की बात है, हमारा पूरा-पूरा प्रयास रहता है कि जो भी उत्तर भेजा जाये वह सोच-समझ कर भेजा जाये। अगर किसी के साथ कोई अन्याय करता है तो साधारणतः छोड़ा नहीं जाएगा।

श्री राम अवधेश सिंह : जो अधिकारी गलत सूचना देते हैं, उन पर भी आप विश्वास कर लेते हैं। अगर प्रमाण मिल जाये तो आपको फांसी दे देनी चाहिए..... (व्यवधान)

श्री ब्रह्म दत्त : मैं न तो उनको फांसी दे सकता हूँ और न आपको फांसी दे सकता हूँ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): The question is:

"That the Bill, as amended, be passed."

The motion was adopted.

The Delhi University (Amendment) Bill, 1988

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENTS OF EDUCATION AND CULTURE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI L. P. SHAHI): Mr. Vice-Chairman, Sir, I move:

"That the Bill further to amend the Delhi University Act, 1922, be taken into consideration."

The new education policy, envisages development of autonomous colleges. This was also mentioned in the the Education Commission Report of 1964 and 1966. The programme of Action to implement the policy has stated that about 500 colleges should be developed as autonomous colleges in the Seventh Plan. In pursuance of

this, the University Grants Commission has framed detailed guidelines on a scheme of autonomous colleges for consideration by various universities. According to these guidelines, colleges which have been conferred autonomous status will have the freedom to frame their own curricula, courses of a study and evolve their own system of evaluation. The university to which the college is affiliated will confer the degree on a student who has qualified in the examination. The guidelines also indicate the criteria to be applied for selection of colleges, the procedures for conferring autonomous status, the governance of autonomous colleges and the provision for monitoring their performance. The guidelines also suggest that each university should set up a standing committee on autonomous colleges. The implementation of the scheme of autonomous colleges demands that the Acts of the university should have a provision which enables the university concerned to confer autonomous status on a college affiliated to them.

The Acts of most of the universities in the country have already such a provision. However, in cases where there are no such provisions, the matter is being pursued with the State Government for amendment to the respective Acts of the universities.

There are at present 9 universities functioning under the Acts of Parliament. Of these, 5 are only teaching universities and they have no provision to affiliate colleges. These are Aligarh Muslim University, Banaras Hindu University, University of Hyderabad, Jawaharlal Nehru University and Visva Bharati University, Santiniketan. The remaining four universities, namely, the University of Delhi, Indira Gandhi Open University, North-East Hill University and Pondicherry University have powers also to affiliate colleges. The Acts of these universities have a provision to confer autonomous status of colleges affiliated to them. However, in the case

of University of Delhi, the existing provision in the Act to confer autonomous status is restrictive. According to that provision only professional colleges affiliated to the university can be given autonomous status. There are at present 54 colleges affiliated to the Delhi University. A large number of these colleges are offering only general education programme. Most of them are well established institutions and could be conferred autonomous status. In order to enable the university to do so, it is necessary the Act is amended so that the university can confer autonomous status on a college affiliated to it.

The Ministry of Law and Justice and Legal Affairs has been consulted and they have concurred. That is why the necessity of bringing forward this Bill.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): There is an amendment by Mr. Satya Prakash Malaviya.

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA (Uttar Pradesh): I move:

"That the Bill further to amend the Delhi University Act, 1922, be referred to a Select Committee of the Rajya Sabha consisting of the following Members, namely:—

1. Shri Chaturanan Mishra
2. Shri Yashwant Sinha
3. Shri Shanker Sinh Vaghela
4. Shri B. Satyanarayan Reddy
man
5. Shri V. Gopalsamy
6. Shri Kailash Pati Mishra
7. Shri M. A. Baby
8. Shri Mohd. Khaleelur Reh-
man
9. Shri Dayanand Sahay
10. Shri Satya Prakash Mala-
viya.

[Shri Satya Prakash Malaviya]

with instructions to report by the first day of the next session."

The questions were proposed.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): The motion for consideration and the amendment thereto are open for discussion.

DR. R. K. PODDAR (West Bengal): Mr. Vice-Chairman Sir, this is apparently an innocuous Bill. It proposes to include one sentence in the existing Act. But, Sir, I believe that the Government has dark motives behind this amendment. There are several most controversial features of the National Education Policy of which this is a part, this concept of autonomous colleges. Now, Sir, the concept of autonomous colleges, of course, is not new. As the Minister has said, it was mooted in 1964 in the Education Commission, that is about 24 years ago. Then in 1973, some guidelines were framed but still the idea did not get the support of the academic community and there was a lot of controversy. Now why this controversy? The Government is not enlightening this House why the academic community is not unanimous or is not interested in welcoming this proposal. The major reason, Sir, is, most academicians of this country feel that in our educational policy, it is not proper to imitate other countries. We have a tradition of our own. We must look into the history of our educational system and then adopt policies. Now, why this kind of promotion of autonomous colleges? There are 5,000 colleges and even if the Government succeeds in establishing 500 colleges during the 7th Plan, what will happen to the other 4,500 colleges. Even if it is successful it will create a class of Brahmin colleges and a class of Harijan colleges. The whole higher educational system will be divided into two classes, one for the ordinary people and one for the elite. So, this is the main pur-

pose, the main portent of this idea. That is why, Sir, you know, even in 1987-88, in the annual report, the Department of Education has said, only 45 colleges all over India have yet been declared as autonomous of which 24 are in Tamil Nadu, 9 in Andhra Pradesh, 8 in Madhya Pradesh and 4 in Rajasthan. Only in these five States, a few colleges have been declared as autonomous colleges. There is no response from the universities of the States like Gujarat, Haryana, Kerala, Orissa, Punjab and West Bengal. Now, they want to impose this idea of autonomous colleges on these State Governments also. Now, what will happen, Sir, is, as it has already happened in the case of Navodaya Vidyalayas, all the Central funds for education will be siphoned off, diverted to these select colleges and the other colleges will not receive any grants and they will be allowed to either wither away or rot. Then how the general mass of the students of our country will get education? How these colleges are evolved? During the past 20 years, very few colleges have come up. All the colleges have been established, say by 1967-68. During the British period, the Government did not support education as you know, Sir. Only one or two colleges... (Interruption)... were set up by the Government, while most of our affiliated colleges were set up by our own people in the various states.

[The Vice Chairman (Shri H. Hanumanthappa) in the Chair].

SHRI DIPEN GHOSH (West Bengal): That the light has gone off indicates that after the imposition of President's rule in Nagaland the light of democracy has gone out. (Interruptions). This is a commentary on the inefficiency of this Government.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): You can continue your speech, Dr. Poddar. (Interruptions).

SHRI N. E. BALARAM (Kerala): Today, really it is a dark day.

SHRI RAM AWADHESH SINGH (Bihar): Darker days are ahead for the Congress Government.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): The light has come. If you cannot see this light, what can we do... (Interruptions).

SHRI DIPEN GHOSH: It is said that at 4 o'clock this will be taken up here. And, in between, there has been darkness. You can imagine what darkness it indicates. (Interruptions).

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): Those who refuse to see the light will see only the darkness. (Interruptions). Please continue, Mr. Poddar.

SHRI DIPEN GHOSH: Despite the darkness on the other side, here there is light.

DR. R. K. PODDAR: What will be the scenario in future? There will be a few colleges to which all the funds will be diverted and all the other colleges will be doomed to rot. Now, what will these few colleges do? They will have freedom to have their own courses of study. They will conduct their own examinations. And what is the university supposed to do? The university consists, as you know of under-graduate and post-graduate departments. There must be communication between the two. They should sit together and frame the syllabus. The university post-graduate department should supervise the under-graduate studies. This link is sought to be cut off. Most of these colleges will be privately run colleges. They will run their colleges in an autocratic and authoritarian manner in which teachers will have no say. They will run the colleges in their own way. And the university will be reduced to nothing but a post office. They

will conduct the examinations, grade them and send the results to the university and the university will put its stamp.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): Please conclude.

DR. R. K. PODDAR: A few more minutes, Sir. Don't you think they will be caricatures of higher education? (Interruptions). Before I end, I will give the case-history of one college from the south since most of the colleges are in the south. In 1983, the Joint Action Committee of the Association of University Teachers, Madurai Kamaraj University Teachers Association and the Tamil Nadu Government College Teachers Association which has 85 per cent of teachers as members, appointed a sub-committee to investigate into the working of these autonomous colleges in the university. What did they find? The sub-committee found that in a college in Madurai, the Principal, the Vice-Principal and a few faculty heads conducted everything in the college. They simply announced changes in the courses or in the system of internal assessment without any discussion with the teaching staff. Once fifty per cent of the hours allotted for Tamil and English studies were arbitrarily slashed and fifty per cent of the teachers were declared surplus. This is the way they function. Then the teachers appealed to the Madras University and a two-member committee of the Madras University upheld the view-point of the teachers. This is how these autonomous colleges are going to be run. Then there are other serious complaints that the sub-committee of the Joint Act Committee found. The sub-committee took note of the allegation that some senior professors had secured access to the question papers and answer sheets of the children. The nation has already been shaken by such cases of misuse of power by politicians and if such

[Dr. R. K. Poddar]

things happen in the 500 new places, you can easily imagine what will happen to our higher education system. And the most peculiar of the UGC a guidelines is that they ask the universities to reserve certain seats for students that come from the autonomous colleges. This is unconstitutional. Reservation is only for Scheduled Castes and Scheduled Tribes as per our Constitution. And these few colleges, not even 10% of the colleges, want reservation for their students for admission to the post-graduation courses. This cannot be allowed. In a recent seminar held in Delhi at the Indian Institute of Technology most of the teachers vehemently opposed the introduction of autonomous colleges. So I would request the Minister not to hasten this things. I would agree with my colleague. Shri Malaviya. let this Bill be referred to a Select Committee; let the Select Committee meet the different Vice-Chancellors, deans of faculties, scientists and teachers and then arrive at a decision as to what to do with this concept which is long undermined for the past twenty years. Or at least let the Minister meet the different teachers of the Delhi University before passing this Bill.

With these words I strongly oppose this Bill and suggest to the Minister to meet the teachers and see what their view-points are and then take a decision.

डा० रत्नाकर पाण्डेय (उत्तर प्रदेश) :
माननीय उप सभाध्यक्ष जी, दिल्ली विश्व-विद्यालय के अधिनियम 1922 के संख्यांक 8 में (9क) में जो संशोधन प्रस्तुत किया गया है कि "किसी महाविद्यालय की स्वायत्त महाविद्यालय घोषित करना" इसका मैं समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। इसके पूर्व की मैं समर्थन करूँ यह मैं बता देना चाहता हूँ कि सन् 1922 और 1988 में बहुत क है। आधी शताब्दि से भी अधिक

वर्ष बीत गए हैं और उस समय कहा गया था कि प्रत्येक महाविद्यालय की स्वायत्तता जिस सीमा तक हो सकेगी वह सीमा और वे विषय जिनके संबंध में वह ऐसी स्वायत्तता का प्रयोग कर सकेगा, ऐसे होंगे जो परिणियमों द्वारा विहित किए जाएंगे। नई शिक्षा नीति में हमने विश्वविद्यालय की शिक्षा पर विशेष बल दिया है और जो स्वायत्तता है आटोनोमी है उसकी विशेष छूट दी है। एक और जब विश्व-विद्यालयों में स्वायत्तता के नाम पर यू० जी० सी० या शिक्षा मंत्रालय कोई निश्चय करता है, कितनी बड़ी विडंबना है उप-सभाध्यक्ष जी, कि एक निश्चय होता है पूरे केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के लिए और एक विश्वविद्यालय अपनी एकैडमिक काउंसिल में, अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में उन प्रस्तावों को जो आदेश है सरकार क उसे रख करके अपनी सुविधानुसार उसे ढाल लेती है और ऐसा करती है कि उसकी मोनोपली, उसकी जो सर्वोच्च नियन्त्रण की क्षमता है वह हमेशा बनी रहे। हमने नई शिक्षा नीति के तहत जो निश्चय किया है जिसका उल्लेख माननीय मंत्री जी ने किया स्वायत्त कालेजों का विकास सम्बद्ध कालेजों की पद्धति सुपात्र कालेजों की पाठ्यचर्या, अध्ययन पाठ्यक्रम अथवा मूल्यांकन की स्वयं अपनी पद्धति तैयार करने की स्वतंत्रता प्रदान नहीं करती। स्पष्ट हमने माना है कि विश्वविद्यालय जो है कालेजों को पाठ्यचर्या अध्ययन पाठ्यक्रम अथवा मूल्यांकन की स्वयं अपनी पद्धति तैयार करने की स्वतंत्रता नहीं देते हैं हालांकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इस कार्यक्रम का समर्थन करता रहा है फिर भी 21 कालेजों को ही यह स्वतंत्रता का अवसर प्रदान किया गया है। यह 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति की कार्य योजना से मैं उद्धृत कर रहा हूँ। तो उसमें सातवीं पंचवर्षीय योजना में 500 कालेजों को स्वायत्तता देने की बात की गई और हमारे अभी माननीय पोद्दार जी जो कह रहे थे उसे मैंने बड़े ध्यान से सुना है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विश्वविद्यालयों की महत्ता बनी रहे और कालेजों की स्वायत्तता न दी जाए। गजरात, केरल, हरियाणा की स्टेट्स सम्बन्धित है शिक्षा और उसकी सामर्थ्य, शिक्षा व्यवस्था चलाने

का हमने निश्चय किया है तो गुजरात, केरल, हरियाणा ने कोई रैसपांस नहीं दिया है। केन्द्रीय सरकार का सारा धन विद्यालयों को चला जाएगा। विश्वविद्यालय का क्या काम रह जाएगा? वह सम्मेलन केवल करेगा। उसकी जो मानोपली है वह जरूर खत्म हो जाएगी। निरंकुशता से कालेज चलाए जाएंगे और वे हास्टल के समान हो जायेंगे। स्वायत्तता प्राप्त कालेजों में कोयम्बटूर का उदाहरण दिया गया कि कुछ शिक्षक और प्रधानाचार्य और उप प्रधानाचार्य वहां कोर्स आदि तैयार करते हैं और शिक्षकों से सलाह भी नहीं लेते। मीनियर प्रोफेसर प्रशासन से टकराते हैं और एक बड़ा दुखद आरोप लगाया कि प्रोफेसर प्रश्नपत्र जो बनाते हैं अपने घर उत्तर पुस्तिकाएं पहले मंगवा करके अपने बच्चों या संबंधियों या अपने और जिनको वे ओश्लाइज करना चाहते हैं उनको उत्तर बता देते हैं। और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण नहीं रहेगा।

माननीय उपसभाध्यक्ष जी, दिल्ली विश्वविद्यालय में एक लाख से अधिक छात्र प्रतिवर्ष परीक्षा बैठते हैं और परीक्षा में जब वह बैठता है तो उसके सामने सबसे बड़ी समस्या होती है कि विश्वविद्यालय का शिक्षक प्रश्न-पत्र बनाता है, कालेजों में कितनी पढ़ाई होती है, किस रूप में होती है, उसका उसे ज्ञान ही नहीं रहता है और छात्रों को उसका खामियाजा भरना पड़ता है। इसलिए स्वायत्तता कालेजों को न दी जाय, मनेजमेंट को स्वायत्तता न दी जाय। यह मैं कनई मानने को तैयार नहीं हूँ। यू० जी० सी० ने जो फ्रेम-वर्क किया है कालेजों की स्वायत्तता का, उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि शिक्षकों को और अन्य कर्मचारी गण हैं, मैं तो इस बात को भी आपके माध्यम से शिक्षामंत्री जी से कहना चाहूंगा कि छात्रों को भी उसमें प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए और मनेजमेंट सबको लेकर के चलने में विश्वास करता है। आज तक हमें प्रभुत्व है दिल्ली विश्वविद्यालय में कालेज में अध्यापन और प्रिंसिपल के रूप में काम करने का, कि कोई भी चीज हम कराना चाहते हैं तो पहले

गवर्निंग-बाडी, अपने शासी-निकाय से हम संपर्क करेंगे, उसके पहले दिल्ली-विश्वविद्यालय अपना एक कानून निकाल देगा। दो-दो मनेजमेंट हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं। इस चीज को तोड़ने के लिए मोनो-पोली तोड़ने के लिए यह बहुत ही आवश्यक है कि स्वायत्तता प्रदान की जाय कालेजों को।

आज का दिन भारत के शिक्षा-इतिहास में जो सबसे बड़ा केन्द्रीय विश्वविद्यालय है, दिल्ली विश्वविद्यालय उसको जो स्वतंत्रता प्रदान की जाय, स्वर्णश्रृंखला में लिखा जाएगा। हां, इससे कुछ हानि जरूर होगी, जैसे प्रतिवर्ष टीचर का आंदोलन होता है और सालों पढ़ाई खराब होती है छात्रों की, हम जो फीस देते हैं अपने बच्चों की और लड़के पढ़ नहीं पाते हैं और सभी अपनी मांगें मनवाने के लिए अपने संघों के माध्यम से जो हम कार्यवाही करने हैं, वह अब सीमित हो जाएगी।

उपसभाध्यक्ष महोदय, हमारी एकाउण्टबिलिटी होनी चाहिए टीचर की। अगर हम एकाउण्टबिलिटी अपनी फिक्स नहीं करते हैं और आटोनोमी की बात करते हैं और आटोनोमी भारत सरकार की शिक्षा-नीति में दिवाउट एकाउण्टबिलिटी के दी जाती है तो यह बहुत बड़ा विश्वासघात राष्ट्र की जनता के साथ और नई शिक्षा नीति के साथ होगा। मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि जहां आटोनोमी की बात की गयी है, वहीं निश्चित रूप से एकाउण्टबिलिटी की बात होनी चाहिए। मैं यह जो बिल आया है, इसका समर्थन करता हूँ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, प्रोग्राम आफ एक्शन, 1986 में संसद के सामने आया था और अब भी जो एपिलेटेड या कांस्टीट्यूट कालेज हैं, उनको कोई भी स्वतंत्रता नहीं है, न कराकुलम में, न कोर्सेज आफ स्टडी में, न इवल्यूएशन सिस्टम में। इस तरह उन्हें अपनी पहचान बनाने का अवसर नहीं मिल पा रहा है। इसी में कहा गया है कि 500 कालेजों को आप स्वायत्त कालेज बनाते

[डा० रत्नाकर पाण्डेय]

जा रहे हैं और यह 1986 की रिपोर्ट मेरे पास पड़ी हुई है, जिसमें बहुत से कालेजों को आपने स्वायत्तता प्रदान की है दूसरे प्रांतों में। इसके साथ ही जिन्हें आटोनोमी मिली, उसमें सबसे बड़ी दिक्कत है कि कई विश्वविद्यालयों में आटोनोमी का कोई प्रावधान ही नहीं है, वह सब कुछ करेंगे, लेकिन अंत में जब चाहेंगे तभी कोई काम कालेजों में होगा। इसमें से दिल्ली विश्वविद्यालय एक है। कहीं ऐसा न हो कि उसमें प्रावधान तो हम कर लें आटोनोमी का, लेकिन आगे चलकर हम किसी के कहीं दबाव में, कहीं धमकी में झुक जायें। तो हम निश्चय करें जो हम दिल्ली विश्वविद्यालय के एक्ट में संशोधन करें, उसे कड़ाई के साथ अमल में लाएं। चुने गए कालेजों को स्वायत्तता मिलनी चाहिए। साऊथ इंडिया के अनेक विश्वविद्यालयों में यह प्रयोग सफल हुआ है। इसमें दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि परीक्षा की पद्धति में हमें सुधार लाना है। आज परीक्षा की स्थिति यह है कि छात्रों के भय में जो इनविजिलेंस करने वाले हैं, वे अपने प्राणों से डरते हैं। छात्र खुले आम नकल करता है और इनविजिलेटर कुछ नहीं कर पता है। इसमें अनेक प्रयोग हमें करने हैं। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यापक संघ से अनुरोध करूंगा कि यदि आप स्वतंत्रता में संघ ही शक्ति है, इस में विश्वास करते हो, एकता में ही कलियुग में शक्ति है में विश्वास करते हो तो उन को स्वायत्तता दो, स्वतंत्रता दो और वे अपने-अपने दायरे में अपना मैनेजमेंट करें, अपना कोर्स बनाएं। यूनिर्स बनाकर नहीं, चाहे टीचर्स हो, स्टूडेंट्स हों, कर्मचारी हों, बॉलफेयर एसोसिएशन बनाकर, कल्याण परिषद् बनाकर हित की बात करें। यह जनतंत्र का युग है। यूनिर्स पर आघात जरूर आएगा। ट्रेड यूनिवर्सिटी लॉगों से मैं कहना चाहता हूँ कि शिक्षा में ट्रेड यूनिवर्सिटी को मत पनपने दो। अगर

इस देश में आने वाली पीढ़ी को उनकी आत्मा का साक्षात्कार कराना है। तो शिक्षा के क्षेत्र से ट्रेड यूनिवर्सिटी हमेशा के लिए खत्म होना चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ कि इसमें सरकार को कमजोर इरादों से काम नहीं लेना चाहिए। जब आपने तनख्वाह बढ़ायी है और दूसरी सुविधाएं दी हैं तो हमें उसका परिणाम भी मिलना चाहिए। कोई छात्र 60 प्रतिशत अंक लेकर आए और फेल होकर निकले, यह अनुचित है।

महोदय यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की भी विचित्र स्थिति है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, शिक्षा को अनुदान से जोड़ दिया गया है। अनुदान आप देते हैं, उसको शिक्षा समिति कहिए, यूनिवर्सिटी कमीशन कहिए। ग्रांट को अलग रखिए और उसमें विभिन्न क्षेत्रों के विद्वानों को रखिए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्वायत्तता की जो बात है उसके लिए कुछ गाइडलाइंस बनायी गयी हैं, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि 5 लाख रुपया यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन प्रत्येक कालेज जो स्वायत्त कालेज हैं, उन्हें लायब्रेरी, पुस्तकें लेबोरेटरी आदि के लिए देगा। यह आटोनोमी है। एक प्राथमिक चीज है, एक प्रयोग हम करने जा रहे हैं। इस प्रयोग का उत्तरदायित्व सब का है। कालेज का मैनेजमेंट कालेज का टीचर, कालेज का छात्र सब पर उसका दायित्व है। इस उत्तरदायित्व का हमें कड़ाई से पालन कराना चाहिए। मैनेजमेंट कोई मिस्यज न करे, टीचर्स की बातें सुने, कर्मचारी की बातें सुने। लेकिन यदि अच्छा रिजल्ट न लाने के लिए मैनेजमेंट किसी को प्रताड़ित करता है तो उस पर यूनिर्स को खड़ा नहीं होना चाहिए। यह मैं सरकार से मांग करता हूँ। शिक्षक को अपना काम करना होगा। उसे एकाउंटबिलिटी दिखानी होगी, परणाम दिखाने होंगे। यदि कोर्स बदलना है तो कोर्स बदलने का काम शिक्षक ही करेंगे। महोदय, दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाले

मुट्ठीभर भोग ही विद्वान नहीं हैं, तमाम कालेजों में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के अपने-अपने विषय के विद्वान हैं। हमारे 54 कालेजों में ऐसे-ऐसे विद्वान हैं कि यदि उनकी बिबलियोग्राफी बनायी जाए तो एक एनसायक्लोपीडिया बन सकता है। हमारे कालेजों में ऐसी ही प्रतिभाएं हैं। लेकिन कामचोरी को हमें छोड़ना पड़ेगा। अगर शिक्षक काम नहीं करेंगे, आटोमोबी का दुरुपयोग करेंगे तो यह चलनेवाला नहीं है। मैं कहना चाहूंगा कि जहां आप स्वायत्तता की बात करते हैं और स्वायत्तता को कालेजों में लागू करना चाहते हैं तो केवल दिल्ली विश्व-विद्यालय में ही नहीं बल्कि पूरे देश के विश्वविद्यालयों में कोई हाई पावर कमेटी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बनाए और कालेजों में नए सुधार कराए।

इस पर वे विचार करें। कोर्स में, कोर्स किस तरह से कालेजों का रखना चाहिए, अध्यापन की प्रवृत्तियों में किस तरह से सुधार करना चाहिए, किस तरह से प्रोजेक्ट सेमिनार, प्रोग्राम लनिंग कैसे बनाए जाएं, इन सब पर वे अपनी राय दें और सलाह ली जाए। इसमें अलग-अलग कालेजों को छोड़ना उचित नहीं होगा। स्वायत्तता का काम भी, मॉडर्लिंग का काम भी, मॉनिटरिंग का काम भी, दिशा निर्देश का काम भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ओर से होना चाहिए और स्टैंडिंग कमेटी मॉनिटरिंग करने के लिए होनी चाहिए। दूसरा, लनिंग मेटेरियल, किताबी पाठ्य सामग्री में सुधार होना है और इसी कमेटी के तहत एक दूसरी कमेटी बनाई जाए जो पठन सामग्री और प्रयोग की सामग्री में किस तरह से, कैसे सुधार होगा और कैसा वातावरण, एटमास्फियर और परिस्थिति के अनुकूल विभिन्न कालेजों में बनाया जाए, इस पर विचार करे। अगर किताबें मुद्रित करानी हैं तो लाखों किताबें उनकी बनेंगी उनमें बार-बार सुधारन करना पड़े और सरकार के मूल्यवान धन का दुरुपयोग न हो। परीक्षाओं में सुधार की जरूरत है। मल्यांकन, इवेल्युएशन

सिस्टम सुधारने के वक्त अपना उत्तर दायित्व अध्यापक न भुंदा करें, इस पर कड़े ढंग से हमें विचार करना चाहिए। शिक्षक को ही अगर इवेल्युएशन का काम दे दिया जाए और छात्रों से ब्लैंक-मेल किया जाए, मान्यवर, जवाहर नाल नेहरू विश्वविद्यालय की एक घटना मैं आपको बताना चाहता हूं। एक रिसर्च स्कॉलर हिस्ट्री के प्रोफेसर साहब, जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको पूरा विवरण, नाम और उस छात्रा को उपस्थित करूंगा। एक छात्रा के साथ अभद्र और अशोभनीय व्यवहार करने के लिए और उन्होंने उसका कैरियर इवेल्युएशन के नाम पर तीन वर्ष तक खराब किया और इस तरह की डिक्टेटरशिप और मोनोपली सब दूर हो। जिसकी प्रतिभा है, उसके अनुरूप वह अपना ज्ञान हासिल कर सके। किसी तरह की प्रॉटिनिंग, किसी तरह का दबाव, किसी तरह की और कोई ऐसी दुष्प्रवृत्ति का शिकार न हों हमारे विद्यार्थी, इसलिए इन तीन चीजों को हमें लाना होगा।

उपसभाध्यक्ष (श्री हेच हनुमन्तप्पा):
खतम कीजिए ... (तमय की घण्टी)

डा० रत्नाकर पण्डेय : बस खतम कर रहा हूं। टीचिंग मेथड, एनोवेशन, एक, टीचिंग मेटेरियल-दो और ग्रिवन्सिज, इन तीनों पर यू.जी.सी० स्वायत्तता को लेकर के काम करें। मुझे खुशी है कि श्री राजीव गांधी की सरकार करनी और कथनी में फर्क नहीं करती। नई शिक्षा नीति के तहत उसने वचन दिया था कि 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत हम पांच सौ कालेजों को स्वायत्तता प्रदान करेंगे। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा। दिल्ली विश्व-विद्यालय के कालेजों की मैनेजिंग बोर्डों आप एक साल के लिए बनाते हैं तथा दिल्ली प्रशासन तथा कारपोरेशन के मੈम्बर्स और दिल्ली के प्रतिष्ठित शिक्षा-विद और सामाजिक लोग उसमें आते हैं। एक वर्ष उन्हें समझने में लग जाता है और तब तक आप उधर बदल देते हैं। प्रत्येक गवर्निंग बोर्ड, शासी निकाय कम से कम पांच वर्ष का बनाएं और

[डा० रत्नाकर पाण्डेय]

एक बार उसका चुनाव हो तो 5 वर्ष तक काम करने का उसको मौका दें, अगर स्थाई रिजल्ट आप लेना चाहते हैं।

इन शब्दों के साथ सन् 1922 में दिल्ली विश्वविद्यालय ने जो अपना एक्ट बना लिया था, वह आज स्वायत्तता प्रदान कर रहा है। 54 कालेजों में एक नई हर्ष को लहर अपनी स्वायत्तता प्राप्त करने की आज इस सदन के माध्यम से व्याप्त होगी।

इन शब्दों के साथ, उपसभाध्यक्ष जी, अपने मुझे बोलने का मौका दिया। शिक्षा को जितनी ही स्वतंत्रता हम देंगे, जितना ही स्वाभाविक ढंग से हम हृदय की भावनाओं को पतपने का और जान के लिए खिड़की और दरवाजे अपने मानस के खुले रखने का अवसर देंगे उतना ही हमारा देश आगे बढ़ेगा और दूसरे विश्वविद्यालय देश का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है और उस विश्वविद्यालय के माध्यम से लाखों लाख छात्र प्रतिवर्ष अपने कालेजों द्वारा जो स्वायत्तता प्राप्त करेंगे उसके बल पर हम कह सकते हैं कि अने वाली हमारी पीढ़ियाँ निश्चित रूप से आत्मसाक्षात्कार कर सकेंगी और राष्ट्र में एक नया प्रयोग, जो राजीव गांधी जी ने नई शिक्षा नीति के माध्यम से किया है, जहाँ 247 करोड़ रुपए अनुदान था वहाँ 15 सौ करोड़ रुपए अनुदान दिया पिछले बजट में। उसका सही ढंग से उपयोग हो। जो व्यूरोक्रट्स हैं, कुछ मोनोपॉली वाले लोग हैं, जैसे एरिस्टोक्रट होता है उसी प्रकार से एजुकेशन एरिस्टोक्रट्स इस देश में हैं।

आज कोई भी कमेटी बनती है चहे अकादमियों की हो या यू.जी.सी. द्वारा एजुकेशन मिनिस्ट्री की हो, उसमें लिस्ट मंत्री महोदय देखें तो वही घुमा-फिराकर सी दो सी नाम मिलेंगे। ऐसी कोई भी मोनोपॉली भंग करो अगर राजीव गांधी के सपनों की शिक्षा नीति लागू

करना चाहते हो। आज गोरखपुर, बनारस, कर्नाटक, कोयम्बतूर हर जगह विद्वान बैठे हुए हैं, उन सब को प्रतिनिधित्व दो तब जाकर मोनोपॉली टूटगी। आपको निश्चित रूप से यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का नाम बदलना होगा। अगर शिक्षा को ग्रांट से जोड़कर रखते हैं, अनुदान पर निर्भर रखते हैं तो क्या होगा? इसे शिक्षा समिति बनाइए। बड़े-बड़े विद्वान शिक्षा मंत्रालय में बैठे हुए हैं, उनकी मीटिंग बुलाकर आपको कुछ लोगों की मोनोपॉली तोड़नी होगी उनकी मोनोपॉली नहीं टूटेगी तो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति नहीं हो सकती हमारे जो प्रो० यशपाल जी हैं चेयरमैन, मैं अभी पढ़ रहा था, उन्होंने हैदराबाद में कहा कि भाषावार विश्वविद्यालयों तेलगू विश्वविद्यालय की स्थापना इस देश के लिए उचित नहीं है। किसी को डिक्टेटर बनने का अधिकार नहीं होता है। सरकार के प्रतिनिधि के रूप में शाही जी नीति बनाएं, लेकिन किसी व्यूरोक्रट को यह अधिकार नहीं है कि वह सरकारी नीति के विपरीत घोषित करे। इससे बहुत बड़ा नुकसान आगे चलकर होने वाला है।

महोदय, दिल्ली विश्वविद्यालय में मैं 20 वर्षों से अध्यापक और प्रिंसिपल के रूप में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ और मुझे खुशी है कि जो हमारा स्वायत्तता का सपना था वह आज पूरा हो रहा है और जब कोई सपना साकार होता है तो निश्चित रूप से हमारा मानस गदगद हो उठता है। उस गदगद मानस को जो लोग यूनिवर्सिटी से, ट्रेड यूनिवर्सिटी से हिनाना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं, जो लोगों में अंतर पैदा करना चाहते हैं, उनकी कोशिशों को नाकाम करना होगा। जो लोग हड़तालें कराते हैं, उत्पादन रोकते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हड़तालें और आन्दोलन कराकर छात्रों के साथ मजाक करते हैं, उनके मां-बाप की गाड़ी कमाई को बेकार करते हैं,

ऐसे लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि वे शिक्षा के क्षेत्र को छोड़ दें। यह बड़ा पवित्र क्षेत्र है, उसमें किसी तरह की यूनियनवाजी और किसी तरह का भेदभाव हमेशा के लिए समाप्त हो।

इन शब्दों के साथ मानव संसाधन राज्य मंत्री श्री साही जी ने जो विल सदन के सामने रखा है और दिल्ली विश्वविद्यालय अधिनियम, 1922 की धाराओं में जो स्वायत्तता का नया अध्याय जोड़ा है, उसके लिए मैं भारत सरकार और विशेषकर राजीव गांधी जी को बधाई देना चाहता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ।

धन्यवाद।

STATUTORY RESOLUTION SEEKING APPROVAL OF PRESIDENT'S PROCLAMATION UNDER ARTICLE 356 OF THE CONSTITUTION IN RELATION TO THE STATE OF NAGALAND

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI BUTA SINGH): Mr. Vice-Chairman, Sir, I beg to move ... (Interruptions). Rest assured, we have done according to the Constitution of India. There is nothing unconstitutional.

SHRI DIPEN GHOSH (West Bengal): After having failed to buy up the MLAs' you have imposed the President's Rule.

SHRI BUTA SINGH: Sir, I beg to move:

That this House approves the Proclamation issued by the President on the 7th August, under article 356 of the Constitution, in relation to the State of Nagaland.

Sir, the Governor of Nagaland has reported that 13 MLAs belonging to the Congress (I) Party led by Shri

K. L. Chisum had conveyed their decision to break from the Party and form a new party called Congress Regional Nagaland. They also approached the Speaker of the State Assembly and sought recognition of this split. The Governor has further reported that on July 31, 1988, Shri Vamuzo, the Leader of the Opposition, informed the Governor that the Legislators belonging to the Naga National Democratic Party, the Congress Regional Nagaland Party, the Naga People's Party, and four Independent Members of the Legislative Assembly decided to work together under the name and style of Joint Regional Legislative Party and demanded the dismissal of the Government headed by Shri Hokishe Sema on the plea that it has been reduced to minority and sought invitation to form an alternative Government. On August 2 another letter signed by 32 Members belonging to the so-called JRLP reiterated their demand to dismiss... (Interruptions).

SHRI RAM AWADHESH SINGH (Bihar): Why co-called? Interruptions).

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): Mr. Ram Awadesh Singh you have given your name. You are speaking on the Resolution.

SHRI BUTA SINGH: Sir, he has intervened, let me reply him. So-called, because it has been superseded, it was a so-called. Now a new party has come.

AN HON. MEMBER: Who superseded?

AN HON. MEMBER: It lived only for a few hours.

SHRI BUTA SINGH: They did it. I did not do it.

[The Deputy Chairman, in the Chair].

SHRI RAM AWADHESH SINGH: Who did it?